

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.  
राजस्व आवेदन संख्या :- 214/2025  
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/322

प्रार्थनीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

- 1.मीरोदेवी पत्नि सुरजनराम
- 2.रूपादेवी पत्नि किशनाराम
- 3.शारदा पत्नि शैतानराम पुत्रवधू  
किशनाराम विश्नोई  
निवासी कुड़ी तहसील कल्याणपुर  
व जिला बालोतरा

- 1.सुखराम पुत्र धोकलाराम जाति विश्नोई  
निवासी पल्ली तहसील लोहावट जिला  
फलोदी
- 2.हरमलराम पुत्र धोकलराम जाति विश्नोई  
निवासी पटाऊ कला तहसील कल्याणपुर
- 3.बलवंता पुत्र भागचन्द
- 4.जोगाराम पुत्र पुखराज नाबालिग जरिए  
कुदरती वली माता परमेश्वरी पत्नि पुखराज
- 5.सुन्दर पुत्री पुखराज नाबालिग जरिए  
कुदरती वली माता परमेश्वरी पत्नि पुखराज
- 6.सुशीला पुत्री पुखराज नाबालिग जरीये  
कुदरती वली माता परमेश्वरी पत्नि पुखराज
- 7.परमेश्वरी पत्नि पुखराज
- 8.मानाराम पुत्र नाहराराम जाति विश्नोई  
निवासी नेवाई तहसील पचपदरा
- 9.हीरादेवी पत्नि अखाराम
- 10.भलमती पत्नि बुधाराम
- 11.मोहनीदेवी पत्नि हीराराम  
जाति विश्नोई निवासी कुड़ी
- 12.शाखा प्रबंधक एस बी आई बैंक शाखा  
पचपदरा
- 13.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार  
पचपदरा



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थनी
- 2.श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 9 से 11
- 3.विप्रार्थी संख्या 1 से 8 व 12,13 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 27/10/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थनीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नेवाई पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 414 क्षेत्रफल 18.0732 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थनीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थनीगण की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थनीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थनीगण द्वारा ग्राम नेवाई पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 414 क्षेत्रफल 18.0732 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थनीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री वीराराम प्रजापत द्वारा विप्रार्थी संख्या 9 से 11 की ओर से वकालतनामा मय इकबाली जबाव पेश किया गया,जो पत्रावली शामिल मिसल है। शेष विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थनीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थनीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नेवाई पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 414 क्षेत्रफल 18.0732 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थनीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थनीगण की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थनीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थनीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थनीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थनीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थनीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थनीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थनीगण



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

की खातेदारी भूमि ग्राम नेवाई पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 414 क्षेत्रफल 18.0732 हैक्टेयर, भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.विप्रार्थी संख्या 9 से 11 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किए जाने पर आपत्ति नहीं है।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम नेवाई पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 414 क्षेत्रफल 18.0732 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थीनीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीनीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीनीगण प्रथम द्वष्यता हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.6.2025 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसूचन में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है,कि प्रार्थीनीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनीगण का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


--:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीनीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नेवाई पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 414 रकबा 18.0732 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं




उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

का चिन्हिकरण करते हुए नियमानुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।

  
(अशोक कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

27/10/25

आदेश आज दिनांक 27/10/25 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

27/10/25

